अध्याय III : थलसेना

3.1 सेना विमानन कोर का प्रकार्य

"इस अनुच्छेद/ प्रतिवेदन की विषय-वस्तु हेतु प्रासंगिक प्रतिवेदन के मुद्रित संस्करण का सन्दर्भ लें"

3.2 भारतीय सेना में बी एम पी वाहन की उपलब्धता में कमी

"इस अनुच्छेद/ प्रतिवेदन की विषय-वस्तु हेतु प्रासंगिक प्रतिवेदन के मुद्रित संस्करण का सन्दर्भ लें"

3.3 टी-55 टैंक के कमांडर के लिए इमेज इंटेन्सिफायर साइट की अनुचित अधिप्राप्ति

टैंक टी-55 के कमांडर के लिए ₹22.12 करोड़ मूल्य का इमेज इंटेन्सिफायर साइट की अधिप्राप्ति फरवरी 2011 और जून 2013 के बीच किया गया जबकि टैंक दिसम्बर 2011 में अप्रचलित घोषित कर दिया गया था।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रणाली 2002 यह विनिर्दिष्ट करती है कि उपकरणों की अधिप्राप्ति में देरी को कम करने के लिए एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिप्राप्ति प्रणाली सैन्य बलों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरकारी हो, विभिन्न अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं के समापन की एक समय-सीमा बनानी चाहिए। इसके अलावा सेना आदेश (ए ओ) 14/94, के अनुसार, जब भी सेवा भण्डार/उपकरण 'अप्रचलित' (ओ बी टी) घोषित कर दिया जाता है, उसके लिए आगे कोई भी प्रावधान नहीं किया जाएगा।

हमने अक्टूबर 2012 में केन्द्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी) आगरा की लेखापरीक्षा एवं आगे नवम्बर 2013 में परीक्षण के दौरान पाया कि रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) की एकीकृत मुख्यालय (आई एच क्यू) सेना को टैंक टी-55 के लिए एक उपकरण[32] (संख्या 432) को अधिप्राप्त करने में 10 वर्षों से अधिक समय लगा जबकि उस अवधि तक टैंकों को अप्रचलित घोषित कर दिया गया था एवं डी-इंडक्सन प्लान के अनुसार यह सेवा में केवल 2018-19 तक शामिल रहेगा।

मामले की चर्चा नीचे दर्शायी गयी है:-

टैंक टी-55 को भारतीय सेना में 1966 एवं 1988 के बीच शामिल किया गया था। डि-इंडक्सन समयसारणी के अनुसार, 1971 से 1988 के बीच शामिल किए गए सभी टी-55 टैंकों को 2018-19 तक हटा दिया जाना है। 455 टी- 55 टैंकों के कमांडरों को इमेज इंटेन्सिफायर (II) पर आधारित नाइट वीजन डिवाइस (साइट) से लैस करने की आवश्यकता महसुस हुई (अगस्त 2002) ताकि तोपची (गनर) को रात में लक्ष्य साधने में आसानी हो सके। अगस्त 2002 में जारी किए गए प्रस्ताव हेतु अनुरोध एवं दिसम्बर 2002 तथा मार्च 2003, को उपयोगकर्ता के परीक्षण के आधार पर, ओप्टो इलेक्ट्रोनिक्स फैक्ट्री (ओ एल एफ) देहरादून के बाइनोकुलर साइट को सफल पाया गया। वाणिज्यिक समझौता कमेटी (सी एन सी), जुलाई 2006 में अपनी मिटिंग में विचार-विमर्श के बाद, करीब 4 वर्षों के अतंराल पर ₹5.12 लाख प्रति इकाई की

[32] ज़ेड 71 ज़ेड जी- 1282 साइट पेरिस्कॉप कमांडर ए वी, एन वी डी निष्क्रिय (टी- 55)

संशोधित दर पर ओ एल एफ देहरादून से टी-55 टैंक के कमांडर के लिए संख्या-455 (II) साइट की अधिप्राप्ति की सिफारिश की। सितम्बर 2002 की बोली में उद्दत मूल किमत ₹1.87 लाख प्रति इकाई थी। महानिदेशालय आयुध सेवाएं, सेना मुख्याय, नई दिल्ली ने ओ एल एफ, देहरादून को फरवरी 2007 में कुल ₹23.30 करोड़ की लागत पर (₹5.12 लाख प्रति इकाई) संख्या 455 के (II) साइट की अधिप्राप्ति के लिए मांगपत्र दिया जिसे जून 2008 तक सी ओ डी, आगरा को भेजा जाना था। परन्तु, सुपुर्दगी की अतिंम तिथि तक ओ एल एफ, देहारादून द्वारा कोई उपकरण नहीं सौंपा गया था। सेना के इस सुझाव की, कि सुपुर्दगी की अवधि को बढ़ाया न जाय चूँकि टी- 55 टैंक शीघ्र सेवा से बाहर किये जाने थे, बावजूद इसके फरवरी 2009 में यह निर्णय लिया गया कि ओ एल एफ देहरादून दिसम्बर 2009 तक 455 कमांडर साइट की आपूर्ति करेगा। फिर भी ओ एल एफ ने जनवरी 2011 तक कोई भी (II) साइट आपूरित नहीं किए। सितम्बर 2012 में, रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्योतर स्वीकृति प्रदान की गई ताकि सुपुर्दगी के लिए दिए गए अंतिम अवधि विस्तार दिसम्बर 2009 तक को नियमित किया जा सके एवं आगे मार्च 2013 तक विस्तरित किया जा सके। परन्तु अक्टूबर 2013 में रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (सेना) ने संविदा को बन्द कर दिया एवं संख्या को संशोधित करके 432 कर दिया। कुल 432 कमांडर साइट सी ओ डी, आगरा में फरवरी 2011 से जून 2013 के बीच प्राप्त हुए।

इस बीच में दिसम्बर 2011 में 433 टैंकों को अप्रचलित घोषित कर दिया गया जिसके लिए सेना आदेश 14/94 के अनुसार किसी भी भंडार/उपकरण का प्रावधान नहीं किया जा सकता था। इकाइयों में स्थित सभी ओ बी टी टैकों (433) को 2018-19 तक कार्य से निवृत हो जाना था। अत: 432 साइटों की अधिप्राप्ति जिन्हें टी-55 टैंक के कमांडर द्वारा उपयोग किया जाना था, ए ओ 14/94 के तालमेल न होने के कारण अविवेकपूर्ण था। हमने पाया कि ₹9.22 करोड़ की लागत वाले 180 साइट फरवरी 2011 एवं मार्च 2012 के बीच प्राप्त हुए थे, उपयोगकर्ता इकाइयों को जून 2013 एवं नवम्बर 2013 के बीच ओ बी टी टैंकों के लिए जारी किए गए जबकि इसके बारे में लेखापरीक्षा द्वारा अक्टूबर 2012 में इंगित किया गया था। शेष 252 साइट जिनकी किमत ₹12.90 करोड़ थी, अप्रैल 2012 तथा जून 2013 में प्राप्त हुए, अभी भी (अप्रैल 2014) सी ओ डी आगरा में पड़े हुए हैं, जिसके लिए उपयोगकर्ता इकाईयों के मांग का इंतजार है।

मामले को जून 2014 में सी ओ डी आगरा को तथ्यात्मक रुप (एफ एस सी) में भेजा गया। अगस्त 2014 में सी ओ डी ने उत्तर में कहा कि किसी उपकरण को ओ बी टी घोषित करने का मतलब उसके लिए सभी प्रावधान रोक देना। परन्तु रक्षा मंत्रालय के पूरक निर्देश 2014 के अनुसार विद्यमान मांगपत्र पूर्व व्यापार/स्वदेशीकरण निदेशालय के साथ जारी रहेगा। सी ओ डी ने आगे कहा कि

सेना द्वारा इन टैंकों को प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए, इन नाइट साइटों की अधिप्राप्ति सही थी।

सी ओ डी का यह तर्क तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ओ एल एफ इन साइटों की आपूर्ति मूल मांगपत्र की अवधि के भीतर नहीं कर पाया एवं टैंकों (433) को दिसम्बर 2011 में ओ बी टी घोषित करने के बाद सुपुर्दगी की अवधि को सितम्बर 2012 में बढ़ा दिया गया। सेना ने दिसम्बर 2008 के आगे टी- 55 साइटों की सुपुर्दगी की अवधि को आगे न बढ़ाने का सुझाव दिया था परन्तु निश्चित समय अवधि के बाद भी साइटों की अधिप्राप्ति होती रही, जो कि टी-55 टैंकों के डी-इंडक्सन योजना एवं ओ बी टी घोषित कर दिए जाने के बाद आवश्यक नहीं था। हालांकि अधिप्राप्ति फरवरी 2014 के रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय द्वारा जारी पूरक निर्देश के पहले की अवधि की थी। एक कवचित रेजिमेंट में (II) साइट के उपयोग के सत्यापन जाँच में यह देखा गया कि बिना मांग के जारी किए गए 23 (II) साइटों में 22 (II) साइट जारी करने के बाद भी भण्डार में पड़ी हुई थी।

अत: कमांडर टी-55 टैंको के कमांडर के लिए इमेज इंटेन्सिफायर साइट की अधिप्राप्ति में 9 वर्षों का विलंब एवं टैंकों के ओ बी टी घोषित करने के बाद भी मांगपत्र को खारिज न करने के परिणामस्वरुप ₹22.12 करोड़ की लागत पर 432 साइटों की अधिप्राप्ति हुई, यद्यपि इस लंबित अवस्था में सेना को इनकी जरूरत नहीं थी। इसमें से ₹9.22 करोड़ की 180 साइटें कमांड इकाइयों को जारी की गईं, जबकि टैंक टी-55 अप्रचलित घोषित कर दिये गये थे एवं ₹12.90 करोड़ की लागत वाले 252 साइटें अप्रैल 2014 तक स्टॉक में पड़ीं हुई थीं।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2015 में भेजा गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

3.4 भण्डरों की अकारण खरीदारी

प्रधान निदेशक, आयुध का वैद्युतिकी एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग के महानिदेशालय से आवश्यकताओं के आकलन में असफलता के परिणामस्वरूप ₹5.95 करोड़ की लागत वाले भण्डारों की अकारण खरीदारी की गई। यद्यपि एम जी ओ ने ठेका होने के बाद फर्म से मात्रा घटाने का आग्रह किया था, लेकिन फर्म ने ऐसा करने से मना कर दिया।

प्रापण प्रगति संगठन (पी पी ओ) जो प्रधान निदेशक आयुध (एम जी ओ), रक्षा मंत्रालय (थल सेना) के एकीकृत मुख्यालय (आइ एच क्यू) के नियंत्रण में कार्य करता है, केन्द्रिय आयुध डिपो तथा आयुध सेवाएँ निदेशालय (ओ एस) द्वारा दिए गए आयात मांगपत्र पर आधारित सभी अतिरिक्त पुर्जों की खरीदारी के लिए जिम्मेदार है

आवश्यकताओं की मांग प्रस्ताव के आग्रह (आर एफ पी) के रूप में सार्वभौम निविदा अथवा एकल निविदा के आधार पर दिया जाता है।

हमने दिसम्बर 2012 में यह पाया कि मिसाइलें एवं हथियारों, इत्यादि के अतिरिक्त पुर्जों की खरीदारी के लिए डी डी जी, पी पी ओ की अध्यक्षता में फरवरी 2011 में वाणिज्यिक समझौता कमीटी (सी एन सी) की बैठक हुई। सी. एन. सी. के सदस्यों में डी जी ई एम ई के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे, जिन्होने विचार विमर्श के दौरान अतिरिक्त पुर्जों के गंभीर भण्डार स्थिति को स्वीकार किया। सी एन सी के परामर्श पर, मेसर्स एस एफ ई, युक्रेन को दिसम्बर 2011 में कुल 11.83 मिलियन युरो[33] (लगभग ₹80.78 करोड़) की मुल्य पर अलग-अलग प्रेषिति पर पूर्जों की आपूर्ति के लिए दो ठेके दिए गए। परन्तु ठेके होने के बाद एम जी ई ओ शाखा ने डी जी एम ई को जुलाई 2012 में, जिसके लिए अतिरिक्त पूर्जों को आयात द्वारा खरीदा जा रहा था, हथियार तंत्र से सम्बंद्ध उपकरण प्रबंधक द्वारा पुनरीक्षण करने आग्रह किया। इसके जवाब में जुलाई 2012 में डी जी एम ई ने आवश्यकता को 0.87 मिलियन युरो (₹5.95 करोड़) से कम कर दिया। चूँकि, डी जी ई एम ई से मात्रा के पुनरीक्षण के पहले ही ठेका कर लिया गया था, एम जी ओ की शाखा ने जुलाई 2012 में फर्म को मात्रा में बदलाव करने एवं तद्नुसार ठेका में संशोधन करने का आग्रह किया। परन्तु फर्म ने ठेकों में किसी प्रकार का बदलाव करने से यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि सभी सामान सुपुर्दगी के लिए तैयार हैं और उनके संयंत्रों को अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। फर्म ने दोनों ठेकों की आपूर्ति को सम्पन्न किया एवं नवम्बर 2012 में इनका भुगतान किया गया।

इस प्रकार ठेका करने के बाद एम जी ओ द्वारा डी जी ई एम ई से अतिरिक्त पूर्जों की मात्रात्मक आवश्यकता मांगे जाने के परिणामस्वरूप ₹5.95 करोड़ की लागत के अधिक भण्डारों की खरीदारी हुई। रक्षा मंत्रालय (सेना) के आई एच क्यू ने ड्राफ्ट पैरा में उठाए गए मुद्दों के जवाब में कहा (अप्रैल 2015) कि ठेका को हस्ताक्षरित करने के बाद भण्डार की आकलन आवश्यकताओं से बचा जा सकता था, परंतु अतिरिक्त पुर्जों की अकारण खरीद को लेकर उनके अलग विचार थे। अत्यधिक खरीदे गए पुर्जों को उचित ठहराते हुए यह तर्क दिया गया कि ठेका के तहत खरीदे गए सभी भण्डार उपयोग में लाए गए हैं तथा सब डिपो/इकाइयों को जारी कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि सभी भण्डार उपकरण को 2025 तक चलाने हेतु जीवन-पर्यंत खरीद के अंतर्गत लिया गया।

दिया गया जवाब निम्न कारणों से स्वीकार्य नहीं है:-

- एम जी ओ ने डी जी ई एम ई से भण्डारों की मात्रात्मक आवश्यकता को प्राप्त करने से पहले ठेका कर लिया। सी एन सी चरण में भी डी जी ई एम ई ने

---

[33] 1 युरो = ₹80.78

खरीदे जा रहे शेष मात्रा पर कोई आपत्ति नहीं की, बावजूद इसके कि सी एन सी के 10 महीने बाद ठेका हुआ।

- खरीद गए अतिरिक्त पुर्जों को सब डिपो एवं युनिटों को कर जारी कर उसका हल निकालना अत्यधिक खरीदारी को उचित नहीं ठहरा सकता।
- भण्डारों की अवस्था को देखते हुए डिपो को भण्डार जारी करना किसी भी तरह से भण्डारों का उचित उपयोग इंगित नही करता।

इस प्रकार, एम जी ओ का ठेका करने से पहले डी जी ई एम ई से भण्डारों की आवश्यकता का आकलन करने में हुई असफलता के परिणामस्वरूप ₹5.95 करोड़ लागत की अकारण खरीदारी हुई।

मामला मंत्रालय को मार्च 2015 में भेजा गया, उनका उत्तर सितम्बर 2015 तक प्रतीक्षित था।

3.5 परिनिर्धारित हर्जाने की कम कटौती

परिनिर्धारित हर्जाने (एल डी) को लागू करने की प्रणाली के अनुसार घटी हुई दरों पर एल डी तभी लागू की जानी चाहिए अगर सरकार को कोई हानि ना हो, फिर भी सेना क्रय संगठन ने हानि के तथ्यों को पता लगाए बिना दोषी ठेकेदारों को अनुचित लाभ मुहैया कराया। जाँच के एक मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि वास्तव में हानि हुई थी।

भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन (डी जी एस एंड डी)[34] द्वारा दिये जाने वाले संविदा पर लागू सामान्य शर्तों के अनुसार क्रेता परिनिर्धारित हर्जाने (एल डी) की वसूली ठेकेदार से कर सकता है जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित है, यह दण्ड के रूप में न होकर, तय समय अवधि के भीतर ठेकेदार द्वारा सुपुर्द न किए गए भण्डारों के मूल्य के 2 प्रतिशत प्रति माह आंशिक माह के तुल्य राशि देने का प्रावधान है, बशर्तें की मांगी हुई कुल हानि कुल संविदा शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

मुख्य निदेशक की अध्यक्षता में सेना क्रय संगठन (ए पी ओ) सेना के लिए खाद्य सामग्री, खाद्यान्न, खाद्य तेल, माल्टेड वस्तुओं आदि के केन्द्रीय क्रय के लिए जिम्मेदार है। इन अधिप्राप्तिओं के भुगतान की जिम्मेदारी प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पी सी डी ए), मुख्यालय (एच क्यू) नई दिल्ली के पास है।

ए पी ओ द्वारा निविदाओं की स्वीकृति (ए टी) डी जी एस एंड डी द्वारा किए गए संविदा के समान शर्तों के अधीन है।

---

[34] डी जी एस एवं डी- महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान

2010-11 एवं 2013-14 के बीच हुए अधिप्राप्ति के 32 मामलों से संबंधित ए टी एवं भुगतान वाउचरों की पी सी डी ए मुख्यालय में जाँच से पता चला कि विक्रेताओं द्वारा भंडार आपूर्ति में विलम्ब किया गया जिससे संविदा की सामान्य शर्तो के तहत प्रति माह 2 प्रतिशत की दर से प्रतिनिर्धारित हर्जाना लगाना पड़ा। हालांकि हमने पाया कि आपूर्ति में एक महीने से आठ महीने का विलम्ब हुआ जिसे सी डी पी द्वारा 0.2 प्रतिशत प्रति महीने की निम्न दर पर एल डी लगाकर नियमित किया गया। निम्नतर दर पर एल डी लगाने का कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं पाया गया। परिणामस्वरुप अधिप्राप्ति के इन 32 मामलों में अनुचित लाभ दिया गया एवं ₹3.55 करोड़ की कम वसूली की गई।

दो प्रतिशत एल डी के स्थान पर 0.2 प्रतिशत के निम्नतर दर पर एल डी के वसूली के मामले को ए पी ओ के साथ उठाया गया (दिसम्बर 2014)। अपने उत्तर में ए पी ओ ने कहा (मार्च 2015) की मौजूदा प्रक्रिया जो कि कानूनी सलाह पर आधारित है, के अनुसार वास्तविक नुकसान के मामले में मूल्य के दो प्रतिशत का दावा किया जा सकता है। हालांकि यह कहा गया था कि अगर कोई वास्तविक हानि नहीं होती, तब केवल नाममात्र, 10 प्रतिशत के तुन्यमान जो कि 0.2 प्रतिशत होती है वही लागू होनी चाहिए। हानि के किसी सबूत के बिना उच्च दर पर एल डी का दावा करना न्यायिक जाँच के लिए अनुरुप नहीं होगा। उत्तर के बावजूद हमने पाया कि न्यूनतम दर 0.2 प्रतिशत पर एल डी लगाते समय ए पी ओ द्वारा ऐसा कोई सबूत नही दिया गया जो प्रमाणित करता हो कि विलंब से आपूर्ति के कारण कोई हानि नही हुई।

इसके विपरित नमूने के तौर पर माल्टेड मिल्क फूड की अधिप्राप्ति, जो कि 2013 में ₹143.46 से ₹174.84 प्रति किलोग्राम की दरों पर संविदा किया गया था, के विस्तृत जाँच के दौरान हमने पाया कि ए पी ओ द्वारा समय पर आपूर्ति करने में विफलता के कारण, डी जी एस एण्ड टी ने सैनिकों की शीघ्र पूरी की जाने वाली आवश्कताओं को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान औसतन ₹217 प्रति किलोग्राम की उच्च दरों पर मदों की स्थानीय खरीद की थी। इसमें सरकार को हानि हुई जो इस तथ्य को साबित करता है कि ए पी ओ ने राज्य को हुई हानि के तथ्यों को नहीं जाँचा एवं इससे दोषी ठेकेदारों को निम्नतर दर पर एल डी लगाकर अनुचित लाभ दिया। उपर्युक्त 32 मामलों में ₹3.55 करोड़ की अधोवसूली हुई है।

मामला मंत्रालय को मार्च 2015 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2015)।

3.6 द्रवचालित टेस्ट बेन्चों का अप्रतिष्ठापन

एम बी टी अर्जुन के लिए ₹2.23 करोड़ की लागत पर खरीदे गए पाँच में से चार द्रवचालित टेस्ट बेन्च आवश्यक आधारभूत संरचना तथा उपकरणों के अधिष्ठापन/चालू होने में देरी के चलते नवम्बर 2010 में उनकी खरीदारी के बाद से ही निष्क्रिय पड़े थे।

प्रधान निदेशक आयुध (एम जी ओ), एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय ने मुख्य संघर्ष टैंक (एम बी टी) अर्जुन के बंदूक नियंत्रण प्रणाली (जी सी एस) की परीक्षण सुविधा के रूप में मरम्मत कार्यशाला में प्रतिस्थापित कराने हेतु द्रवचालित टेस्ट बेन्चों (एच टी बी) की मांगपत्र भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी (एच वी एफ) को दिया। तदनुसार एच वी एफ ने अप्रैल 2009 में मैमर्स लियो नार्डो इंजिनीयर प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलुरू, को ₹2.79 करोड़ की लागत पर पाँच एच टी बी, के लिए आपूर्ति आदेश दिए। एच टी बी का परेषिती एच वी एफ अवाडी था।

एच वी एफ अवाडी ने अगस्त 2009 में एम जी ओ एवं सभी चुनी गई इकाइयों को आवश्यक आधारभूत ढाँचे अर्थात् 415 वोल्ट का वातानुकूलन आपूर्ति एवं पूर्वानुमानित शीतल करने की व्यवस्था के लिए पानी आपूर्ति के बारे में सूचित किया गया था। इसके बाद, उपयोगकर्ता स्थल पर प्रतिस्थापन के लिए सुविधा की संरचना करने के लिए एच टी बी का सम्पूर्ण चित्रण/विनिर्देशन सभी इकाईयों को अगस्त 2009 में बताया गया था।

फर्म द्वारा उपकरण नवम्बर 2010 में आपूर्ति की गई एवं एच पी एफ अवाडी द्वारा अक्टूबर/नवम्बर 2010 में सैन्य वैद्युतिकी एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग कॉलेज एवं दिल्ली कैन्ट, जैसलमेर, जोधपुर और अहमदनगर के सेना कार्यशालाओ को भेज दिया गया। आपूर्ति आदेश के नियम एवं शर्तो के अनुसार मार्च 2010 तथा मई 2010 के बीच ₹ 2.57 करोड़ का भुगतान कर दिया गया।

फरवरी 2013 में 12 कार्प्स क्षेत्रीय कार्यशाला, जोधपुर के रिकार्डो की नमूना परीक्षण ने यह प्रदर्शित किया कि दिसम्बर 2010 में प्राप्त हुई द्रवचालित प्रशिक्षण बैन्च निष्क्रिय पड़ी थी क्योंकि आधारभूत ढाँचे के प्रावधान का कार्य स्वीकृति (2011-12) के बावजूद उसका निर्माण कार्य निष्पादित नहीं हो पाया था। परन्तु जनवरी 2015 में कार्यशाला ने यह पुष्टि की कि आधारभूत सरंचना हो जाने के बावजूद इसकी स्थापना नही हुई है क्योंकि बकाया देय की निकासी तक फर्म ने ऐसा करने में असमर्थता जताई।

इसके अतिरिक्त, चार और स्टेशनों पर प्रेषित किए गए एच टी बी की अधिष्ठापन एवं चालू होने की जाँच से यह प्रदर्शित हुआ कि चारों स्टेशनों पर सितंबर 2013 तक आधारभूत ढाँचे की संरचना के बावजूद, उपकरण केवल एम सी ई एम ई में स्थापित किए गए थे। दिल्ली कैन्ट एवं अहमदनगर की कार्यशालाएँ अभी तक अधिष्ठापन

होने का इंतजार कर रही है, जबकि जैसलमेर में उपकरण अधिष्ठापित होने के बावजूद चालू नहीं की गई है।

इस प्रकार, ₹2.23 करोड़ की लागत से खरीदे चार एच टी बी को उनके नवंबर 2010 में खरीदने के बाद उपयोग में नही लाया गया (जनवरी 2015) क्योंकि आवश्यक आधारभूत ढाँचे की संरचना एवं उपकरण की अधिष्टापन/चालू करने में देरी की गई। खरीद का प्रयोजन इस प्रकार निरर्थक रहा।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2015 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2015)।

3.7 हाई-लो बेड्स की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय

पहली कॉल के दौरान हाई-लो बेड्स की अधिप्राप्ति के साथ विस्तृत वार्षिक रख-रखाव ठेका के लिए पहली कॉल के दौरान अनिर्णय के कारण पुन: निविदा करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 1406 बेडों की अधिप्राप्ति में ₹63 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डी पी एम- 2009) यह विनिर्दिष्ट करती है कि चिकित्सा उपकरणों के मामले में जहाँ पांच वर्षों की वारंटी/गारंटी प्रदान की जाती है, वहाँ फर्मों को वारंटी की अवधि की समाप्ति पर पांच वर्ष के लिए विस्तृत वार्षिक रखरखाव ठेके (सी ए एम सी) का दर उद्दत करने के लिए कहा जा सकता है एवं इन्हें निविदाओं के तुलनात्मक विवरण में शामिल कर एल- I विक्रेता का चुनाव करते समय विचार में लाना चाहिए। डी पी एम में आगे बताया गया है कि इस तरह के मामलों में मूल्यांकन मानदंड को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) में स्पष्ट रुप से दर्शाया जाना चाहिए।

महानिदेशक, सैन्य बल, चिकित्सा सेवाएं (डी जी ए एफ एम एस) ने नवम्बर 2012 में सी ए एम सी के उपरोक्त प्रावधानों को निविदा दस्तावेजों में विधिवत् समाविष्ट करते हुए 1406 हाइ-लो बेड्स, जिन्हें चिकित्सा उपकरण के योग्य माना गया था, की अधिप्राप्ति के लिए खुली निविदाओं को आमंत्रित किया। इस संदर्भ में नौ फर्मों से उत्तर प्राप्त हुआ (दिसम्बर 2011) जिसमें से तीन फर्मों को तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी ई सी) द्वारा तकनिकी रूप से स्वीकार किया गया (जनवरी 2012)। तकनीकी रुप से योग्य तीन फर्मों में से केवल एक फर्म जिसका नाम मेसर्स सर्जिकोन मेडिक्विप प्राइवेट लिमिटेड था, सी ए एम सी के साथ ₹5.31 करोड़ उद्धरित की थी एवं मेसर्स कार्वेल सिस्टम ने न्यूनतम दर ₹3.93 करोड़ बिना सी ए एम सी के उद्धरित की थी। जैसाकि सी ए एम सी के लिए प्राप्त बोलियाँ प्रस्ताव हेतु अनुरोध के अनुरुप नहीं थी, जिससे जुलाई 2012 में पुन: निविदा जारी करना पड़ा। इस बार जवाब में चौदह फर्मों के उत्तर प्राप्त हुए, इनमें से तीन फर्म टी ई सी द्वारा तकनिकी रुप से स्वीकृत किए गए।

मेसर्स हाई-टेक मेटल एवं मेडिकल इक्विपमेंट प्राईवेट लिमिटेड ₹5.38 करोड़ (सी ए एम सी पुर्जो के साथ) एवं ₹4.77 करोड़ (सी ए एम सी के बिना) उद्धरित दर के साथ दोनों अवस्थाओं में सबसे न्यूनतम (एल- I) पाया गया। मेसर्स डस्टेक इंजीनियर्स ने ₹5.75 करोड़ सी ए एम सी के साथ एवं ₹5.10 करोड़ सी ए एम सी के बिना उद्धरित किया था। मेसर्स जनक हेल्थकेयर ने ₹8.49 करेड़ सी ए एम सी के साथ एवं ₹7.43 करोड़ सी ए एम सी के बिना उद्धरित किया था। अचानक मूल्य समझौता समिति की तकनीकी रुप से स्वीकृत फर्मो के साथ हुई 2 नवम्बर 2012 की बैठक में सी ए एम सी खण्ड को निविदा की स्वीकृती (ए.टी) से इस आधार पर हटाने का सुझाव दिया कि सशस्त्र बल चिकित्सा भण्डार डिपो (ए एफ एम एस डी) ही प्रारंभिक एवं एकमात्र प्रेषिति थे एवं इन बेड़ों को आस-पास के कई इकाइयों में जारी किया जाना था इसलिए मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीं थी। डी पी एम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सी एन सी ने सी ए एम सी खण्ड को हटाने का निर्णय किया।

डी जी ए एफ एम एस ने दिसम्बर 2012 में मेसर्स हाई-टेक मेटल एण्ड मेडिकल इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को तय राशि ₹4.56 करोड़ (बिना सी ए एम सी शुल्क) पर 1406 बेडों की आपूर्ति 60 दिनों के भीतर अर्थात् 16.02.2013 तक करने की शर्त पर निविदा को स्वीकृती दे दी। परन्तु, फर्म द्वारा बेडों की आपूर्ति अप्रैल 2013 में की गई।

यद्यपि दूसरी कॉल के दौरान, मेसर्स हाई टेक की दरें ₹4.56 करोड़ (बिना सी ए एम सी) की स्वीकृत कर ली गई थीं जो कि डी पी एम के प्रावधानों के उल्लंघन था जबकि पहली कॉल के दौरान मेसर्स केयरबेल सिस्टम की ₹3.93 करोड़ की निविदा सी ए एम सी की दर उद्धरित न करने के कारण अस्वीकार कर दी गई थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹63 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा की पुन: निविदा संबंधित प्रश्नों (जनवरी 2013) जो कि फर्म द्वारा न्यूनतम राशि (सी ए एम सी के बिना) डी पी एम के प्रावधान के अनुसार एवं दूसरी कॉल मं न्यूनतम राशि को स्वीकृती (सी ए एम सी के बिना) से थी, इस पर डी जी ए एफ, एम, एस ने कहा (मई 2013) कि सी ए म सी शुल्क काफी सोच विचार के बाद सी एन सी द्वारा हटाए थे, जिसमें यह निर्णय किया गया था कि वारंटी अवधि के बाद सी ए एम सी निष्पादित करना बेकार एवं निरर्थक होगा क्योंकि बेडों को पूरे देश में पहुँचाना था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सी एन सी के पास सी ए एम सी शुल्क हटाने का अधिकार नहीं था। अत्याधिक व्यय से बचने के लिए पहली कॉल के दौरान ही सी ए एम सी को हटाने के लिए मंत्रालय से सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए थी।

डी पी एम प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा हाई-लो बेडों को उच्च दरों पर क्रय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹63 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

उत्तर में, (जुलाई 2015), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के टिप्पणियों को स्वीकार किया एवं डी जी ए एफ एम एस को खामियों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा।

3.8 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियाँ, बचतें एवम् वार्षिक लेखाओं में संशोधन

हमारी टिप्पणियों के आधार पर, लेखापरीक्षित इकाइयों ने अधिक भुगतान किए हुए वेतन एवं भत्तों, विविध शुल्कों और विद्युत शुल्कों की वसूली की, अनियमित निर्माण कार्यों की संस्वीकृति को निरस्त किया एवं वार्षिक लेखा को संशोधित किया, जिससे ₹11.70 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा के क्रम में, हमें अनियमित भुगतान के, प्रभार की कम/न वसूली, अनियमित संस्तुतियों के एवं लेखा गलतियों के कई उदाहरण देखने को मिले। लेखापरीक्षा अवलोकनों पर कार्य करते हुए लेखापरीक्षित इकाइयों ने सुधारक कार्यवाहियाँ की, जिसका सार निम्नवत है-

वसूली

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, प्रधान निदेशक, रक्षा लेखा, सैन्य अभियंता सेवाएं (एम ई एस), कैन्टीन भण्डार विभाग (सी एस डी) मुख्यालय, आदि के रिकोर्ड की जाँच ने ₹7.02 करोड़ की राशि के वेतन एवं भत्तें, विद्युत बिल एवं कर, विविध शुल्कों के अनियमित भुगतान को उजागर किया। इंगित करने पर, संबंधित इकाइयों ने अनियमित भुगतानों की वसूली की।

बचत

विभिन्न संस्वीकृतिदाता अधिकारी जैसे सेना के उप-क्षेत्र मुख्यालय, स्टेशन मुख्यालय, कोर्प्स मुख्यालय आदि ने निर्माण कार्यों के अनियमित प्रशासनिक संस्वीकृति को रद्द किया। इसका निवल परिणाम कुल ₹1.65 करोड़ की बचत थी।

वार्षिक लेखाओं का संशोधन

जब हमने ऑक्ट्रई एवं मूल्य वर्धित कर (वी ए टी) के अधिक संग्रहण जो सी एस डी की आय नहीं थीं, के उदाहरण दिए। तब सी एस डी ने अधिशेष राशि को आम संचय पूंजी में अंतरित कराते हुए अपनी वार्षिक लेखों में सुधार किया। इन सुधारों का निवल परिणाम ₹3.03 करोड़ का लाभ था।

मामला मंत्रालय को अप्रैल 2015 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2015) था।